न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 16 / प्रा.पत्र / 2020	19.02.2020	10.02.2025
(GCMS No. 2020 / 00018)		

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

1. मोहनलाल आ. बालू जाति मेघवाल निवासी नीम का खेडा तह.बून्दी
2. ओमप्रकाश उर्फ महावीर आ. बालू जाति मेघवाल नि. नीम का खेडा
3. कालीबाई पुत्री बालू पत्नी मोतीलाल जाति मेघवाल
   निवासी मालीपुरा (आमली) तहसील एवं जिला बून्दी
4. पुष्पाबाई पत्नी बालू जाति मेघवाल निवासी नीम का खेडा तह.बून्दी
   निवासी देवली तहसील देवली जिला बून्दी
5. मीराबाई पुत्री हजारीलाल पत्नी मोतीलाल जाति मेघवाल
   निवासी देवली तहसील देवली जिला बून्दी
6. मृतक नन्दकिशोर आ. बालू जाति मेघवाल निवासी नीम का खेडा
   (जरिये कायम मुकामान) —

6/1 विशाल आ.नंदकिशोर जाति मेघवाल निवासी गरडदा तह. बून्दी
6/2 दुर्गेश पुत्री नंदकिशोर जाति मेघवाल निवासी गरडदा तह. बून्दी
6/3 कविता पुत्री नंदकिशोर जाति मेघवाल निवासी गरडदा तह. बून्दी
6/4 कोमल पुत्री नंदकिशोर जाति मेघवाल निवासी गरडदा तह. बून्दी
6/5 कान्तिबाई पत्नी नंदकिशोर मेघवाल निवासी गरडदा तह. बून्दी

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री ओमप्रकाश मेघवाल, एडवोकेट।

जिला कलेक्टर, बून्दी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी मोडू आ. धूला को किये गये भूमि आवंटन ख.सं. 1687/1986 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा एवं ख.सं. 1687/1987 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा वाकेग्राम बिशनपुरा आवंटन आदेश दिनांक 04.11.1977 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका में क्रमांक 16/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2020/00018 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। तहसील कार्यालय बून्दी में पत्रावली उपलब्ध नहीं होने से पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 193 के आधार पर रेकार्ड का सत्यापन किया गया। अप्रार्थी नन्दकिशोर आ. बालू का देहान्त हो जाने से उनके वारिसान को दिनांक 06.02.24 को कायम मुकाम अप्रार्थी सं. 6/1 लगायत 6/5 बनाया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2024 को पेश किया जाकर उक्त कार्यवाही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, आवंटी द्वारा आवंटन किश्त जमा नहीं की गई है। इस प्रकार आवंटी एवं वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थना पत्र विषयक आवंटन दिनांक 22.08.1962 को ग्राम गुढानाथावतान में कृषि भूमि आवंटन हेतु आयोजित शिविर में तीन पीढ़ी पूर्व अनुसूचित जाति के भूमिहीन काश्तकार स्वर्गीय मोडा को हुआ था। आवंटन तिथि को आवंटन प्रकिया में आवंटन परामर्शदात्री समिति का कोरम पूरा था। सरंपच, प्रधान, विधायक, तहसीलदार, एसडीओ सभी मौजूद थे। उक्त आवंटन निःशुल्क था जिसका कोई मूल्य जमा करने का आदेश नहीं था। भूमि आवंटन के बाद तत्काल भूमि को आवंटी मोडा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किया गया था। आवंटी मोडा ने काफी मेहनत व रूपये खर्च कर भूमि को कृषि योग्य बनाया था, उस पर

जिला कलेक्टर; बून्दी

वह काबिज काश्त रहा है। आवंटी ने समस्त शर्तो की पालना की है। तीन वर्षो में तहसीलदार बून्दी को स्वतः ही खातेदारी अंकित किया जाना था, जो उन्होने दुर्भावनावश नहीं किया, इसके लिए प्रार्थी तहसीलदार स्वयं उत्तरदायी है। प्रार्थी द्वारा आवंटन के 50 वर्ष से भी अधिक वर्षो पश्चात यह प्रार्थना पत्र छपे–छपाये आवेदन पत्र पर प्रस्तुत किया गया है, जबकि अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों को हुई आवंटन भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि पर लाखों रूपये खर्च किये जा चुके है। इस हेतु पत्रावली पर स्वयं अप्रार्थीगण एवं गांव के मौतबिरान व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश किये हुये है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मिथ्या व बनावटी तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि मोडू आ. धूला जाति मेघवाल निवासी ग्राम बिशनपुरा को दिनांक 22.08.1962 को भूमि खसरा सं. 1687/1986 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा एवं ख.सं. 1687/1987 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा वाकेग्राम बिशनपुरा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 पेश किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम बिशनपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2072–2075 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 1687/1986 रकबा 0.6537 हैक्टेयर एवं ख.सं.1687/1987 रकबा 1.4688 हैक्टेयर पर ओमप्रकाश उर्फ महावीर पुत्र बालू, कालीबाई पुत्री बालू, नन्दकिशोर पुत्र बालू, पुष्पाबाई पत्नी बालू, मीराबाई पुत्री हजारीलाल, मोहनलाल पुत्र बालू जाति मेघवाल गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 01.11.2019 के अनुसार उक्त आंवटित भूमि पर मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है।

यहां उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस उक्त आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। शपथ पत्रों के आधार पर भूमि पर कब्जा प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। जबकि प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों से आवंटी एवं वारिसान का कब्जा काश्त नहीं होना प्रकट होता है। प्रकरण में आवंटी एवं वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटी मोडू आ. धूला जाति मेघवाल निवासी ग्राम बिशनपुरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 1687/1986 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा एवं ख.सं. 1687/1987 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा वाकेग्राम बिशनपुरा दिनांक 22.08.1962 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि उक्त आवंटित भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी